FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. कालूराम यादव बनाम राजेन्द्र व अन्य दीवानी वाद संख्या – 103/2021(20/2015) सीआईएस संख्या – 12/2015	Brief note of Compliance of Order
11.09.2025	वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 269 एसटी आयकर अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि वादी ने वाद के पैरा संख्या 1 में यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की कृषि भूमि ग्राम खसरा संख्या 104 के तहत 6 बीघा 5 बिस्वा ग्राम चुरली, पटवार हल्का पाटन में स्थित है। दिनांक 27.01.2014 को प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त भूमि 45 लाख रुपये में विक्रय करना तय कर 13 लाख रुपये वादी से प्राप्त कर वादी के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित किया। उक्त राशि नकद प्राप्त किये जाने का कथन किया है। वादी के दोनों गवाहान द्वारा भी यह अंकन किया गया है कि 13 लाख रुपये उनके सामने प्राप्त किये। जिरह में वादी से यह पूछे जाने पर कि 13 लाख रुपये कहां से आये तो जवाब दिया कि यह राशि उसके द्वारा अपने पिताजी से प्राप्त करके प्रतिवादीगण को बेचान की गई, किन्तु वादी द्वारा अपने पिता के खाते की अप्रमाणित प्रति पेश की गई है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त नकल में भी 13 लाख रुपये का भुगतान कालूराम को किये जाने का इंद्राज नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16.04.2025 को सिविल अपील संख्या 5200/2025 में The Correspondence RBANMS Educational Institution VS B. Gunashekhar & Another के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने वादी के उपर यह भार अभिनिर्धारित किया है कि वह बड़ी नकद राशि के संबंध में स्रोत को प्रकट करे तथा इस संबंध में निर्देश भी जारी किये गये हैं तथा उक्त निर्देशों के आधार पर माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 20.05.2025 को यह सर्कुलर जारी किया गया कि जहां पर कोई दावा दो लाख रुपये या उससे अधिक राशि के संबंध में पेश किया जाता है जिसमें संव्यवहार नकद राशि के माध्यम से हुआ है तब न्यायालय क्षेत्राधिकार वाले आयकर विभाग को वह संव्यवहार सत्यापित करने तथा आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के उल्लंघन को भी सत्यापित करेगा। अतः उक्त सर्कुलर के आधार पर किशनगढ़ क्षेत्र के आयकर विभाग को सूचना देकर यह जांच करवाने का निवेदन किया कि वादी के पास 13 लाख रुपये नकद कहां से आये। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये :– Civil App. No. 5200 of 2025 (Arising from SLP(C) No. 13679 of 2022) The Correspondence RBANMS Educational Institution VS B. Gunashekhar & Another वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादी कालूराम के द्वारा जो बैंक खाते की प्रमाणित प्रति पेश की गई है वह विधिनुसार साक्ष्य में ग्राह्य है। जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने 13 लाख रुपये की राशि प्राप्त करना स्वीकार किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्णय में दो लाख या दो लाख से अधिक का नकद संव्यवहार दिनांक 01.04.2017 के बाद किया गया हो, उसके संबंध में संबंधित आयकर विभाग को सूचित	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

करने का निर्देश दिया गया है। निर्णय का प्रभाव दिनांक 01.04.2017 के बाद दो लाख या दो लाख से अधिक नकद संव्यवहार के लिए है। दिनांक 01.04.2017 के पूर्व के संव्यवहार के मामलों में उक्त न्यायिक दृष्टांतों के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। प्रकरण को विलम्ब कारित करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः सव्यय खारिज किया जाये।

उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 27.01.2014 में 13 लाख रुपये की राशि नकद प्राप्त किये जाने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो लाख या उससे अधिक की राशि के संव्यवहार के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले आयकर विभाग को सूचित किये जाने के निर्देश होने व माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी इस संबंध में सर्कुलर जारी होने से वादी द्वारा दिये गये 13 लाख रुपये की जांच हेतु आयकर विभाग को सूचित करने का निवेदन किया है। इस संबंध में इकरारनामा व वादपत्र का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में वादी द्वारा हस्तगत वाद विक्रय इकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया गया है। उक्त इकरारनामे में 13 लाख रुपये दिनांक 27.01.2014 को नकद प्राप्त किये जाने का अंकन है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत के पैरा संख्या 18.1 में यह उल्लेखित किया है कि संशोधन दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि उक्त संशोधन आयकर अधिनियम में वर्ष 2017 में जोड़ते हुए दिनांक 01.04.2017 को प्रभावी हुआ है व इस संबंध में धारा 269 एसटी दो लाख रुपये से अधिक के नकद संव्यवहार को प्रतिबंधित करती है, परन्तु हस्तगत वाद में जो इकरारनामे के निष्पादन में 13 लाख रुपये की राशि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त करने का कथन वादी ने किया है तथा प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में स्वीकार किया है, उक्त राशि दिनांक 01.04.2017 से पूर्व दिनांक 27.01.2014 को प्राप्त करने का वादी ने कथन किया है उस समय उक्त संशोधन नहीं किया गया था, ना ही प्रभावी था बल्कि उक्त संशोधन वर्ष 2017 का है जो वादी द्वारा कथित संव्यवहार के पश्चात का है, परन्तु धारा 269 एसएस आयकर अधिनियम 1961 में 20,000 रुपये या उससे अधिक की राशि का नकद संव्यवहार प्रतिबंधित है जो उक्त संशोधन वर्ष 2017 से पूर्व का है। अत: उक्त संव्यवहार में नकद राशि के संव्यवहार के संबंध में जांच हेतु सूचना संबंधित आयकर अधिकारी किशनगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना न्यायोचित है। अत: उक्त संव्यवहार की सूचना संबंधित आयकर अधिकारी किशनगढ़ को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतदद्वारा उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर ने शीघ्र निस्तारण के निर्देश दे रखे हैं। पत्रावली साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर है। अतः ऐसी स्थिति में आईन्दा वादी अपनी समस्त साक्ष्य पेश करे। वादी गवाहान के उपस्थित आने पर प्रतिवादी आवश्यक रूप से जिरह करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 16.09.2025 को पेश हो।

11/9/25

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)